आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालयः– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

विविध वाद सं0 01/13–14

Sashibhushan Pandey and Others

Vrs

Hrishikesh dhar Dubey and Others

अभिलेख उपस्थापित किया गया उक्त वाद की सुनवाई आवेदक शशी भूषण पाण्डेय एवं अन्य ग्राम– अचला नावाडीह (गढ़वा) के द्वारा अंचलाधिकारी गढ़वा के विविध वाद 17/12–13 में पारित आदेश के विरूद्ध समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई है।

भूमि का विवरणी

क्र0 सं0	हल्का का नाम	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट	रकबा
01	नावाडीह		28	721	0.73

आवेदक शशी भूषण पाण्डेय के समर्पित आवेदन में अंकित किया गया है कि खाता 28 प्लॉट 721 कुल रकबा 1.45 एकड़ के 0.73 एकड़ भूमि से संबंधित है। प्रस्तावित भूमि को गैरमजरूआ खाते की भूमि है। उक्त भूमि पर आवेदको का विगत 50 वर्ष पूर्व से कब्जा है तथा इसके द्वारा 1965 से लगातार लगान चुकाकर सरकारी रसिद प्राप्त की गई है। आवेदक के द्वारा विपक्षी के इस दावे को खारिज किया गया है कि राजस्व रसिद में खाता 28 के स्थान पर 98 अंकित है परंतु अंकित प्लॉट 721 सही है जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं है तथा राजस्व गॉव में एक प्लॉट केवल एक ही व्यक्ति का होता है इस प्रकार भूमि का पहचान चौहदी के द्वारा की जा सकती है। प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल कार्यालय में समर्पित लिखित कारण पृच्छा को दिखलाते हुए कहा गया की विगत सर्वेक्षण काल से खाता 28 तत्तकालीन जमीन्दार के रैयत का दो प्लॉट किसी भी गॉव का नही था। रसिद में खाता गलत लिख दिए जाने से आवेदक के दावे को खारिज नही किया जा सकता है आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखे गऐ पक्ष में बताया गया है कि आवेदक का मांग विगत 50 वर्ष पूर्व से कायम है। आवेदक का यह कथन है कि विवादी प्लॉट के साथ–साथ प्लॉट संख्या 479 एवं प्लॉट संख्या 487 का भी मांग विगत 50 वर्षो से अधिक लगातार 1965–66 तक का मांग ग्राम नावाडीह के रजिस्टर–II के पृष्ठ संख्या– 116 पर 1971–72 पृष्ठ संख्या 109/1 पर अंतरित होकर आया जो 1993–94 तक कायम था और वर्त्तमान समय में उक्त मांग अंतरित होकर मांग पंजी–II के पृष्ठ संख्या 64/1 पर चल रहा है। इस प्रकार अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा मांग स्थगित वाद संख्या– 17/2012–13 में पारित आदेश को सही नही बताया गया है। साथ ही अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा स्थगित की गई मांग को पूर्वत कायम रहने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी ऋषिकेश धर दूबे वगैरह दिये गये लिखित जवाब में अंकित किया गया है कि निम्न न्यायालय (अंचल कार्यालय) में कुल सात आवेदक थे परंतु इस वाद में अपीलार्थी द्वारा सिर्फ तीन को प्रत्यर्थी बनाया गया है साथ ही बताया गया है की बिषय वस्तु वाली भूमि ग्राम–नावाडीह अंचल+थाना– गढ़वा स्थित खाता 28 प्लॉट नं0 721 की भूमि है जिस पर प्रत्यार्थी ऋषिकेश धर दूबे एवं अन्य हिस्सेदारो का कब्जा है। प्रश्नगत भूमि पूर्व सर्वेक्षण काल में गैरमजरूआ मालिक भूमि थी खतियान में उक्त भूमि का खाता नं0 28 तथा उसके तत्कालिन

मालिक सर्वे खतियान में समिलात मालिकान थे जो इस प्रत्यर्थी के पूर्वज थे सर्वे खतियान में वर्णित खेवट दार जो इस भूमि के मालिक थे जीवित थे तब शांती पूर्ण जोत दखलकार रहे तथा उनके मृत्यु के वाद क्रमशः उनके पास तथा वर्त्तमान में यह प्रत्यर्थी अपने अन्य हिस्सेदार शम्भुधर दूबे इत्यादी के साथ शांती पूर्वक दखल कब्जा कर रहे। साथ ही जमींदार उन्नमूलन के पश्चात प्रत्यर्थी के पूर्वज रिर्टन सरकार के समक्ष दाखिल किये तथा वर्त्तमान सर्वे में खतियान प्रत्यार्थी के पक्ष में दो हिस्सेदारो का दो किता रिहायती मकान भी अवस्थित होने की बात बताई गई। प्रत्यार्थी के द्वारा बताया गया की इस वाद के आवेदक द्वारा जालसाजी करके अंचल कार्यालय के मांग पंजी रजिस्टर II में नाम दर्ज कराया गया है जिसमें प्रश्नगत भूमि का खाता न0 98 अंकित किया गया है जब की भूमि वास्तिविक खाता 28 है जो पुराना सर्वे में भी दर्ज है। अपीलार्थी के द्वारा जिस रजिस्टर II में अपना डीमाण्ड का आधार बताया गया है उस पृष्ठ पर अंकित है कि मांग को 116/1 से लाया गया बताया गया है कि किनके आदेश से कायम है यह अंकित नहीं किया गया है साथ ही विपक्षी के द्वारा अंचलाधिकारी गढ़वा के द्वारा विविध वाद संख्या 17/12–13 से स्थगित की गई मांग को सही बताते हुए मांग को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अंचलाधिकारी गढ़वा के विविध वाद 17/12–13 स्थगित मांग का अवलोकण किया आवेदक ऋषिकेश धर दूबे अन्य सा0 अचला नावाडीह, गढ़वा के आवेदन पर वाद की कार्यवाही प्रारंम्भ की गई जिसमें विषयाधिन भूमि ग्राम–नावाडीह के खाता 28 प्लॉट 721 रकबा 0.73 एकड़ का मांग द्वितीय पक्ष (शशिभुषण पाण्डेय) जो इस न्यायालय में आवेदक है उनके चल रहे मांग को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं अंचलाधिकारी, गढ़वा के विविध वाद संख्या– 17/2012–13 का अवलोकण से स्पष्ट होता है कि ग्राम नावाडीह के खाता 28, प्लॉट– 721, रकबा– 0.73 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खाते की भूमि है, जिसका मांग आवेदक के नाम से मांग पंजी–II में पूर्व से मांग कायम है। लंबे समय से कायम जमाबंदी/मांग के संदर्भ में किसी प्रकार का निर्णय लेना सक्षम न्यायालय से संबंधित है।

अंचलाधिकारी द्वारा विविध वाद सं0 17/12–13 से स्थगित मांग आदेश को अपास्त किया जाता है। अगर पक्षकार चाहे तो इसके विरूद्ध हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 24.7.2020

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Sd/- 24.7.2020

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner